आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

19/01/2024

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -07/2023-24

आलोक किस्कू एवं अन्य **बनाम** राजु रजक।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-31/2022-23 में दिनांक-07.07.2023/25.07.2023को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-31/2022-23 में दिनांक-07.07.2023/25.07.2023 को पारित आदेश द्वारा विपक्षी आलोक किस्कू को उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किया दखल संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने कारण उच्छेद किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-गायछन्द के जमाबंदी रैयत है एवं जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी है। गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा-गायछन्द के खाता सं0-28, दाग सं0-503, रकवा-10 डी0 के खतियानी रैयत के नाम डाबु धोबा दर्ज है। डाबु धोबा कुष्ठ रोगी थे एवं उसके भाई पुतु धोबा नावल्द थे। उनके जीवनकाल में अपीलकर्त्ता के पूर्वज नन्दु किस्कू एवं बुधन किस्कू को मौजा-गायछन्द के खाता सं0-28, दाग सं0-503, रकवा-10 डी0 जमीन का कुर्फा पट्टा द्वारा दिया था। उसके बाद डाबु धोबा एवं पुतु धोबा पुरूलिया, पश्चिम बंगाल स्थानातंरित हो गये। उसके बाद नन्दु किस्कू एवं बुधन किस्कू कच्चा मकान बनाकर शांतिपूर्वक दखल कब्जा कर परिवार सहित रहने लगे। वर्त्तमान में भूमाफिया द्वारा किसी राजु रजक को उनका वारिशान खड़ा किया गया एवं प्रश्नगत जमीन को हड़पने के उद्देश्य से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेदी वाद की शुरूआत किया गया। उत्तरवादी द्वारा गलत वंशावली का अंचल कार्यालय जामताड़ा में संधारित पंजी II में भी खाता सं0-28 में issueless अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि खाता सं0-28 के कोई वंशज नहीं है। अपीलकर्त्ता नन्दु किस्कू एवं बुधन किस्कू के वैध उत्तराधिकारी है। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा निम्न न्यायालय में तथ्य का बिना जाँच किये दी अपीलकर्त्ता को उच्छेद कर दिया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-गायछन्द के खाता सं0-28, दाग सं0-503, रकवा-10 डी0 गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार डाबु धोबा के नाम से दर्ज है। राजु रजक डाबु धोबा जाति के धोबा है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते है जबकि आलोक किस्कू का जाति संथाल के अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है। अतः आलोक किस्कू किसी भी परिस्थिति में डाबु धोबा का वंशज स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा-गायछन्द के प्रश्नगत जमीन नन्दु किस्कू एवं बुधन किस्कू को कुर्फा पट्टा द्वारा जमीन प्राप्ति होने की बात कही गयी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21(I) (IV) के अनुसार " (a) No such transfer shall be recognised as valid unless it has been made by means of a registered deed and reported in the prescribed manner by the transferor and transferee to the Deputy Commissioner and to the landlord within one month of the registration of the deed: (b) No such transfer shall be made for a period exceeding six years and, on the expiry of the period of transfer, no further transfer of any of the lands of the transferor raiyat shall be permissible of a period of six years." इस प्रकार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के अनुसार रजिस्टर्ड डीड के जरिये कुर्फा पट्टा दिया जाता है, जो कि अपीलकर्त्ता या अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा कुर्फा पट्टा लेने संबंधी कोई कागजात अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत कुर्फा पट्टा 06 वर्ष से

सं0-28, दाग सं0-503, रकवा-10 डी0 जमीन पर कुर्फा पट्टा की अवधि समाप्त हो चुकी है। अपीलकर्त्ता प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटेलमेंट खतियानी रैयत के वंशज प्रतीत नहीं होता है। उत्तरवादी के भी प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटेलमेंट खतियानी रैयत के वंशज या उत्तराधिकारी का होना या न होना का निर्धारण के लिये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा R.E. Case No-31/2022-23 में दिनांक-07.07.2023/25.07.2023 को पारित आदेश के अंतर्गत अपीलकर्त्ता आलोक किस्कू एवं अन्य को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की सुसंगत धारा के तहत उच्छेद किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-31/2022-23 में दिनांक-07.07.2023/25.07.2023 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.02.14 13:15:26 +05:30
Location: 192.168.43.106